

पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उप प्रबन्धक का कार्यालय)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of U.P. Power, Lucknow)

महाप्रबन्धक (औसत) e-mail-ashokagnihotri2003@yahoo.co.in
शक्ति भवन: 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

कार्यालय ज्ञाप

सं० 160 -विनियम एवं औस/पाकालि/09-7-विनियम/88

दिनांक: 01.सितम्बर 09

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित याचिका सं० 264 (एस/एस)/1999 (विद्युत कार्यालय कार्मिक संघ, उ०प्र० बनाम यू०पी० स्टेट एंड अन्य) तथा याचिका सं० 1289 (एस०बी०)/2003 (ए० जी० मोहनुद्दीन एवं अन्य बनाम उ०प्र० पा०का०लि० एवं अन्य) में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.08.07 तथा मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में उ०प्र० पा०का०लि० द्वारा प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका सं० 21712-21713/07 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.07.09 के आलोक में पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् की विज्ञप्ति सं० 531-विनियम-23/रा०वि०प०-98 दिनांक 22.12.1998 द्वारा मूल विनियमावली, 1970 में संशोधन हेतु जारी "उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् लिपिकीय अधिष्ठान (मुख्य अभियन्ता के कार्यालय एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालय) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली-1998" को एतद्वारा उसकी निर्गमन की तिथि से निरस्त किया जात है।

नवनीत सहगल
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

सं० 160 (1)-विनियम एवं औस/पाकालि/09 तददिनांक
प्रतिलिपि कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ०प्र० शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
3. अपर प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० राज्य जल विद्युत निगम लि०/उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
5. समस्त निदेशक गण, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड के निजी सचिव।
6. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/मध्योंचल/पश्चिमोंचल/दक्षिणोंचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा/केसको, कानपुर।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड/उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (ज०वि०), उ०प्र० पा०का०लि०, लखनऊ।
9. महाप्रबन्धक (लेखा एवं प्रशासन)/महाप्रबन्धक (औस), उ०प्र० पा०का०लि०, लखनऊ।
10. अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/अरा०, उ०प्र० पा०का०लि०, लखनऊ।
11. अपर सचिव (काविनी), उ०प्र० पा०का०लि०, लखनऊ को उनकी पत्रावली सं० 7(2) काविनी/03 हेतु।
12. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशायी अभियन्ता, उ०प्र० पा०का०लि०/उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन लिमिटेड/डिस्काम।
13. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पा०का०लि०, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 03.08.09 को हुई बैठक की मद सं० अठहत्तर (52)/09 के सम्बन्ध में उनकी टिप्पणी सं० 517/पाकालि/बैठक (78)/09 दिनांक 16.08.09 के सन्दर्भ में।

र.र. शक्ति. (वेब 8/22)

(जावेद अहमद)
अनुसचिव (विनियम)